बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं० :–2/अ०प्र०–1–04/2023 36 /पटना, दिनांक :– 9.5.23

कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर अंतर्गत MMGSY (GEN) के तहत निर्माणाधीन REO रोड यादव टोला (घाघा) पथ की जॉच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। पत्रांक 3107 दिनांक 30.12.2022 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ में मिट्टी जो का प्रावधान है उसके अनुसार पथ को बनाया गया तो पथ वर्षात् में पानी में डुब जायेगा। इस पथ में प्राक्कलन से अधिक मिट्टी की आवश्यकता है। प्राक्कलन तैयार करते समय ही यह जॉच कर लेना चाहिए था कि जो मिट्टी का प्रावधान किया जा रहा है, वह स्थल के अनुरूप है या नहीं, जो नहीं किया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि एकरारनामा में प्रशासनिक स्वीकृति को तकनीकि स्वीकृति से कम दर्शाया गया है, जबकि B.O.Q एवं प्राक्कलन में दोनों एक समान है, जो 79.982 लाख है। एकरारनामा के प्रथम पृष्ठ पर एकरारनामा संख्या, कार्य प्रारंभ की तिथि एवं कार्य समाप्ति की तिथि नहीं दी गयी है।

2. जॉच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त बिन्दुओं पर श्री ग्यानन्द निराला, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर से विभागीय पत्रांक 491 अनु0 दिनांक 15.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री निराला द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 03.04.2023 विभाग को समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया कि योजना का प्राक्कलन Flexicon Engineer's & Planners Pvt. Ltd द्वारा बनाया गया था एवं उनके द्वारा ही सर्वे एवं अन्य कार्य करते हुए प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता के समक्ष समर्पित किया गया था। सर्वे एवं अन्य तरह के सारे कार्य कंसलटेन्ट द्वारा किया गया था, जिसकी मान्यता विभाग द्वारा दी गयी थी। सारे योजना का फिल्ड वर्क अथवा सर्वे को लेकर प्राक्कलन गठन करना एवं पुनः कार्य कराये जाने का पर्यवेक्षण किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु विभाग से मान्यता प्राप्त कंसलटेन्ट के प्राक्कलन का गठन करवाया जाता है और जिसका भुगतान भी किया जाता है। उनके द्वारा संबंधित प्रोजेक्ट के दर की गणना की जॉच की गयी और जिसे अनुसूचित दर के अनुरूप पाया गया प्रतिवेदित किया गया। जहॉ तक एकरारनामा में कतिपय त्रुटियों का उल्लेख किया गया है, के संबंध में कहना है कि यह आरोप उनसे संबंधित नहीं है अपितु यह आरोप कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से संबंधित है, क्योंकि एकरारनामा कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से जांचोपरान्त उनके स्तर से किया जाता है।

4. श्री निराला के स्पष्टीकरण एवं जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि योजना का प्राक्कलन Flexicon Engineer's & Planners Pvt. Ltd द्वारा स्थल का सर्वे करके बनाया गया है। श्री निराला की भूमिका कंसलटेन्ट द्वारा बनाये गये डी0पी0आर0 के दर को जॉच कर प्रतिवेदन देने के संबंध में है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार योजना में मिट्टी की अधिक आवश्यकता को लेकर Revised प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा जॉच की तिथि तक मिट्टी कार्य का कोई भुगतान संवेदक को नहीं किया गया है। एकरारनामा के प्रथम पृष्ठ पर

तकनीकी स्वीकृति की राशि 81.290 लाख एवं प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 79.982 लाख अंकित है। B.O.Q एवं प्राक्कलन में दोनों राशि एक समान है जो 79.982 लाख है। संवेदक से प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 79.982 लाख से 25 प्रतिशत Below दर (59.91021 लाख) पर एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा में तकनीकी स्वीकृति की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक दिखाया जाना त्रुटिपूर्ण है किन्तु इसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री ग्यानन्द निराला, तदेन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रश्नगत आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री ग्यानन्द निराला, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीणं कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज को प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

ह0/- 9/5/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः— 2/अ०प्र०—1—04/2023 1115 /पटना/दिनांकः— 9.5.23

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव के निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा/गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर/इमामगंज/प्रशाखा पदाधिकारी—4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/श्री ग्यानन्द निराला, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, इमामगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 9/5/23

अभियंता प्रमुख